न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 76 / 2022
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान

प्रार्थीगण – 1. श्रीमती सोनी पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी सुकालिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. रूकन पुत्र दिनू जाति मुसलमान निवासी सुकालिया 2. श्रीमती मारीयत पत्नी अयूबखां जाति मुसलमान निवासी सुकालिया 3. नगाराम 4. थानाराम पि. नारणाराम जाति जाट निवासी सुकालिया 5. गोमाराम 6. नारणाराम 7. किशनाराम 8. खुशालाराम पि. सोनाराम जाति जाट निवासी सुकालिया तहसील चौहटन 9. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीनी वकील – श्री मोहनसिंह सोढ़ा, श्री विक्रमसिंह भाटी
विप्रार्थी – श्री उम्मेदसिंह सोढ़ा विप्रार्थी सं. 1
श्री हरीश चौधरी विप्रार्थी सं. 3 से 8

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.02.2026

प्रार्थीनी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि विप्रार्थी सं. 1 रूकन पुत्र दिनू के खातेदारी का खेत मौजा सुकालिया तहसील चौहटन में खसरा संख्या 956 / 1 रकबा 60 बीघा का आया हुआ था जिसमें से प्रार्थीनी सोनी ने 15 बीघा (2.4281 हैक्टेयर) दिनांक 05.06.2004 को मोल खरीदा था जिनके वर्तमान खसरा सं. 1144 / 956 है पड़ौस–उत्तर में गुलहसन पुत्र सचेना, दक्षिण मे मनसुख भील (देदूसर की सरहद में), पूर्व में विक्रेता स्वयं रूकन व पश्चिम में अजीम पुत्र जोगा इन्ही पड़ौस के बीच विप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीनी को मौका पर कब्जा दिया और बेचाननामा तैयार करवाकर बाजाब्ता उपपंजीयक कार्यालय चौहटन में पंजीयन करवाया। प्रार्थीनी बेचान के र[illegible] बताये पड़ौस के बीच काश्त कर काबिज है तथा मौके पर ढाणिया बनाकर र[illegible] आ रही है। इसके बाद इस खसरा नम्बर 956 / 1 के बेचान हिस्सो [illegible] पड़ौस बताये संयुक्त खसरा नम्बर बेचान हिस्सो में होने के कारण इस पूरे खसरे की तरमीम गलत हो [illegible] प्रार्थीनी जहां काबिज है उस अनुसार तरमीम नही की जाकर [illegible]ण के रूप में तरमीम [illegible] दी। प्रार्थीनी को जो हिस्सा बेचान किया उसमें रहवासी ढाणी बनी हुई है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:09:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

तरमीम की गई जिसे प्रार्थीनी अपने खसरा सं. 1144/956 मौजा सुकालिया (बीजराड़) की शुद्ध व सही तरमीम मौका कब्जा अनुसार दुरूस्त करवाने चाहते है, जिस हेतु यह राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उम्मेदसिह सोढ़ा व विप्रार्थी सं. 3 से 8 की ओर श्री हरीश चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। विप्रार्थी सं. 1 व 3 से 8 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर बावजूद जवाब पेश नही करने से जवाब अवसर बंद किया गया।

तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीनी अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, स्वीकार है। उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थीयां की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त परिशिष्ट 'ए' बरंग बैगनी अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसलिए प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा सुकालिया पटवार हल्का बींजराड़ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 1144/956 रकबा 2.4281 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र 'ए' बरंग बैगनी अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन की मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:09:30 IST
Reason: SelfAttested